न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2015

जी.सी.एम.एस. : 2015/00040

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
ढगलाराम पुत्र नेना जाति माली निवासी कण्टालिया तह. मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		1. भानुप्रकाश पुत्र टीकमराम जाति सीरवी निवासी कंटालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली 2. जीवाराम पुत्र पूनाराम 3. नरपत पुत्रगण पूनाराम 4. प्रेम पुत्र पूनाराम 5. शोभा पुत्रीयान पूनाराम, जातिगण सीरवी निवासी कंटालिया 6. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/03/2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2694 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भी दौराने बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जैर आराजी से सम्बंधित घोषणात्मक चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं भूमि बंटवाड़े तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के यहा विचाराधीन हैं जिसमें अदालत द्वारा रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश जारी किया था एवं केम्प कंटालिया में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पुख्ता कर दिया। उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार ने अदिनांकित जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। चुकि

अति. जिला कलेक्टर पाली

जैर आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन होने के उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जिसे खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नायब तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2694 के विरूद्ध पेश की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जैर आराजी में अपने हिस्से का बेचान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.06.2014 के द्वारा किया गया, जिसकी पालना में जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजियात को लेकर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध सहायक कलक्टर, मारवाड़ जंक्शन के यहां एक वाद प्रस्तुत किया तथा इसी वाद के एक स्थगन प्रकरण संख्या 47/2014 बअनवान ढगलाराम बनाम शंकरलाल में दिनांक 04.07.2014 में अग्रिम आदेश तक वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाड़ा के हस्तक्षेप नहीं करे और कब्जा सुदा आराजी का बेचान होने पर भी अजनबी क्रेता विवादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करे एवं दिनांक 23.06.2015 के द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद तक कन्फर्म किये जाने के आदेश जारीशुदा है।

उक्त समग्र विवेचन से यह सुस्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 2694 जो कि दिनांक 02.07.2014 को पटवारी हल्का कण्टालिया द्वारा दर्ज किया गया है एवं दिनांक 04.07.2014 को आर.आई. कण्टालिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, उस दिनांक को अन्तिम निषेधाज्ञा जारी की गयी, जिसकी रेस्पोडेण्ट को सेचष्ट जानकारी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 52 Transfer Of Property Act 1882 वाद के दौरान किसी प्रकार का विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जानी चाहिए। हालांकि विक्रय वाद दर्ज किये जाने से पूर्व का है तथा वाद में उक्त विक्रय की वैद्यता का विनिश्चयन किया जाना हो तो दौराने वाद व निषेधाज्ञा प्रचलित होने व उसकी जानकारी होने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 2694 को खोले जाना विधि के शासन को नकारता है अर्थात् जैर नामान्तरकरण विधि–विरूद्ध है तथा न्यायालय के आदेश की अमर्यादा को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1999 पेज 481 के अनुसार – "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 135 Mutation, when regular suit is pending in competent court - Summary proceedings should be stayed.- It is established principle of law that where regular suit is pending in competent court, the summary proceedings of mutation should be stayed because in regular suit the rights of the parties are

अति. जिला कलेक्टर, पाली

decided after taking evidence of both the parties. The Board of Revenue accepted the appeal." उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू परिलक्षित होता है। अतएव ऐसे नामान्तरकरण को सरंक्षण दिये जाने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा विवादित नामान्तरकरण विधिविरूद्ध एवं निषेधाज्ञा के प्रचलित होने के कारण जारी किये जाने के कारण अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार नायब मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम कंटालिया पटवार हल्का कंटालिया के नामान्तरकरण संख्या 2694 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली